4.7.25 पत्रावली पेश हुई
फरियाद स्वीकार की।
विपक्षी सं. 2 से 8 की तरफ से वकील श्री
[illegible] द्वारा पत्रावली पेश किया, जो
आदेश पारित किया गया।
पत्रावली वादी साक्ष्य विपक्षी का हेतुक
लिए तारीख 12.8.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

12.8.25 पत्रावली पेश हुई
उपस्थित अभिभाषक।
साक्ष्य विपक्षी प्रस्तुत हुई, जो आदेश पारित
की गई।
उपस्थित की बहस सुनी गई।
विद्वान मंत्री का अंतिम आदेश होने से
व्यापक हित पत्रावली विचार लिये प्रकरण में निम्नानुसार
आदेश पारित किया गया।
पत्रावली [illegible] आदेश पृष्ठ

8)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:56:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner